न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11 / 2023
दायर दिनांक : 14.08.2023
निर्णय दिनांक : 09.07.2024

उनवान

1. सुगनेश कुमार पिता हरकलाल महाजन निवासी भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाललाल पिता चतरभुज ब्राहम्ण निवासी भूपालसागर
2. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री आसिफ ईकबाल, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आ.सं. 2173 रकबा 0.80 है., आ.सं. 2174 रकबा 0.50 है., आ.सं. 2175 रकबा 0.38 है., आ.सं. 2176 रकबा 0.07 है. किता 4 रकबा 1.75 हैक्टे है, जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थी अपनी आराजियात पर आम रास्ता आ.सं. 2238 से होकर अप्रार्थी की आ.सं. 2237 की उत्तरी दिशा की पाली से होकर अपनी खातेदारी की आ.सं. 2173 में प्रवेश करता है और इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहा था और वर्तमान में भी प्रार्थी व उसके परिवारजन सिजारी अपनी खातेदारी की आराजियात में जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग कर रहा है तथा खाली भरी बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि इसी रास्ते से बिना रोक टोक लाता ले जाता है। लेकिन राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी को हैरान परेशान कर रहा है प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने के रास्ते पर जेसीबी से खाई खोद कर डोल डाल दी जिस कारण प्रार्थी की आराजियात में जाने [illegible] अवरूद्ध हो गया है इस कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की आराजियात [illegible] हेतु रास्ता [illegible] करवाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की आ.सं. 2237 की उत्तरी दिशा [illegible] फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे तथा रेवेन्यू रिकार्ड में तरमीम व अमल दरामद करवाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.26 09:17:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, भूपालसागर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

.05.2024 में अंकित किया कि ग्राम भूपालसागर के आ.सं. 2173 रकबा 0.80 है. आ.सं. 2174 रकबा 0.50 है., आ.सं. 2175 रकबा 0.38 है., आ.सं. 2176 रकबा 0.07 है. किता 4 रकबा 1.75 है. भूमि को जरिये विक्रय पत्र से विक्रय कर दी है तथा रिकार्ड में भी केतागण के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी ने अपनी भूमि विक्रय कर देने से केता के द्वारा वाद दायर किया जाने पर कार्यवाही किया जाना उचित होगा। वकील प्रार्थी ने रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर अनुसार सहमति देते हुऐ प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। वकील प्रार्थी की बहस एवं रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर की रिपोर्ट पर मनन के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भूमि का विक्रय कर दिया जाने एवं वकील प्रार्थी की सहमति अनुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.26 09:17:34 IST
Reason: SelfAttested